कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडला (म0प्र0)

/ /वाहन नीलाम विज्ञप्ति/ /

क्रमांक 123 दो–12–18/ मंडला दिनांक 25.07.2024

सर्वसाधारण को इस नीलाम विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडला स्थित अनुपयोगी शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.02ए.व्ही.–1909 टाटा इंडिगो कार जहॉ है जैसी स्थिति में है, को निष्प्रयोजित मात्र रूपये 50,500/–रूपये में दिनांक 04.09.2024 एवं 05.09.2024 को प्रातः 11:00 बजे खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है। उक्त नीलामी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडला के नाम से देय राशि 5000/–पॉच हजार रूपये मात्र की राशि अमानत राशि के रूप में जमा कर भाग लिया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार वाहन की खुली निविदा के माध्यम से नीलाम हेतु निविदा की शर्ते निम्नानुसार हैः–

–: नीलामी की शर्ते :–

1. शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.02ए0व्ही.–1909 टाटा इंडिगो कार का न्यूनतम ऑफसेट मूल्य 50,500/– रूपये (शासकीय बोली) नियत है।

1. उक्त अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय वाहन की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत की राशि 50,500/– रूपये प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडला के नाम से देय सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।

3. अमानत की राशि नीलामी की समाप्ति पर असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति को उनके द्वारा लगायी गई बोली/स्वीकृत की गई पूरी राशि जमा करने के पश्चात लौटाया जावेगा।

4. किसी भी बोली को बिना कारण बताये, पूर्ण रूप से स्वीकार करने/अस्वीकार करने/आंशिक रूप से स्वीकार करने/निरस्त करने तथा प्राप्त कर/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकारी सर्वथा, विभागीय नीलाम समिति कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडला को प्राप्त होगा।

5. नीलाम के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।

6. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात अनुपयोगी शासकीय वाहन क्रेता को प्रदान किया जावेगा

7. उच्चतम बोली स्वीकार करने पर विचार किया जावेगा। बोली स्वीकार होने पर तत्काल एक मुक्त राशि जिला नाजिर, नजारत नजारत अनुभाग मंडला के पास जमा करना होगी, तत्पश्चात् ही वाहन उपलब्ध कराया जावेगा।

8. बोली की राशि समय पर जमा न करने पर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

9. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर वाहन को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में नीलामी संबंधी संपूर्ण शर्ते स्वीकार कर ली गई है, ऐसा माना जावेगा।

10. अनुपयोगी शासकीय वाहन विक्रय के पश्चात कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करने पर उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं क्रेता के नाम पंजीयन एवं बीमा कराये जाने की संपूर्ण जवाबदारी क्रेता की ही होगी।

11. वाहन क्रमांक, चेचिस नंबर, इंजन नंबर का मिलान बोलीकर्ता को नीलामी स्थान पर ही करना होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति क्रय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत नहीं की जावेगी।

12. उपरोक्त नियमों की शर्तो का शिथिलिकरण स्थापना पर गठित विभागीय नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

अध्यक्ष
विभागीय नीलामी समिति
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मंडला

प्रतिलिपिः–

1. न्यायालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. नगरपालिका के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. सार्वजनिक स्थल एंव बस स्टेंड पर चस्पा हेतु।
4. जिला चिकित्सालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल की ओर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
7. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट मण्डला की ओर सूचनार्थ एवं जिला न्यायालय मण्डला की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।